

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ब. मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
1.17	विवादित बिजली बिल की शिकायत का निराकरण (विजली चोरी के प्रकरणों को छोड़कर).	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
1.18	बकाया राशि का भुगतान उपरांत विच्छेदित कनेक्शन को पुनः संयोजित करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	2 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	4 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-34.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2017 में संशोधन करते हुए नापतौल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.13	नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	45 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.14	निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.15	नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.16	विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	15 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.17	नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.18	सुधारक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	15 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.19	पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैककर्ता/आयातकर्ता का पंजीयन.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	07 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-35.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—